

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
3 <sup>12</sup> / <sub>2020</sub>	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक जेम्स पीटर टोपनो, पिता-स्व० फ्रांसिस टोपनो, ग्राम- लुपुंगुट्टू, टोला-पताहातु, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- लुपुंगुट्टू, थाना नं०- 645, खाता न०- 217, प्लॉट न०- 2245 रकबा- 0.05 एकड़ भूमि क्रेता सरस्वती पाड़ेया, पिता- सुलेश पाड़ेया, ग्राम-ऊपर लोटा, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक स्वयं के नाम से नामांतरण वाद सं०-305/2020-21 के माध्यम से नामांतरण स्वीकृत है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1152, दिनांक 18.11.2020 के द्वारा प्राप्त है। बिमारी का ईलाज हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सरस्वती पाड़ेया, पिता- सुलेश पाड़ेया, ग्राम-ऊपर लोटा, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 2,50,000.00/- (दो लाख पचास हजार) रुपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि 2.20 एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता जेम्स पीटर टोपनो, पिता-स्व० फ्रांसिस टोपनो, ग्राम- लुपुंगुट्टू, टोला-पताहातु, थाना मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- लुपुंगुट्टू, थाना नं०- 645, खाता नं०- 217, प्लॉट न०- 2245 रकबा- 0.05 एकड़ भूमि को क्रेता सरस्वती पाड़ेया, पिता- सुलेश पाड़ेया, ग्राम-ऊपर लोटा, थाना- मुफसिल चाईबासा जिला- पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p>	
लेखापित	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>